न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–54/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/54)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री छीतर
2. श्री शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री छीतर
3. श्री गोपाललाल पुत्र स्व0 श्री छीतर
   समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण पूसा कुम्हार की ढाणी, भदूण रोड, रूपनगढ, जिला अजमेर।
4. श्रीमती नन्दू पुत्री स्व0 श्री छीतर पत्नी श्री रामस्वरूप, जाति कुम्हार, हाल निवासी ग्राम बीजोलाव, तहसील दूदू, जिला दूदू।
5. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व0 श्री छीतर पत्नी श्री बन्सी, जाति कुम्हार, हाल निवासी बजरंग कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर।
6. श्रीमती मंजू पुत्री स्व0 श्री छीतर पत्नी श्री दिनेश, जाति कुम्हार, हाल निवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 86/2014(105/2013)

उपस्थितः–

1. श्री एन0एस0 राजावत अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः–20.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2014 (105/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष दिनांक 06.05.2013 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया। वाद–पत्र को वाद 105/2013 के रूप में दिनांक 13.05.2013 को दर्ज किया जाकर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया, जिस वाद–पत्र के विचाराधीन रहते हुए आदेशिका दिनांक 18.03.2014 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ का नवीन रूप से गठन हो जाने से उक्त पत्रावली स्थानान्तरित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 05.06.2014 नियत की गई, जिस वाद–पत्र को उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ के न्यायालय में वाद संख्या 86/2014 के रूप में दर्ज किया गया, तथा वाद–पत्र के विचाराधीन रहते हुए पत्र क्रमांक 214 दिनांक 13.07.2015 द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट रेस्पोडेंट/प्रतिवादी से तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए, तथा आदेशिका दिनांक 19.03.2018 से 19.11.2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात पत्रावली आदेशिका दिनांक 31.03.2016 से जवाब सरकार हेतु आगामी पेशी दिनांक 05.05.2016 नियत की गई, तथा दिनांक 05.05.2016 को पत्रावली नियत नहीं होकर आगामी पेशी दिनांक 13.06.2016 न्याय आपके द्वार शिविर 2016 केम्प कोर्ट, रूपनगढ में नियत की जाकर वादीगण/अपीलांट को दिनांक 13.6.2016 के लिए नोटिस जारी किए गए, जिस पर अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्व शिविर दिनांक 13.6.2016 के समक्ष उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुए एक लिखित आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष भी सुनवाई कर निस्तारण किए जाने का निवेदन किया गया, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा आगामी पेशी न्यायालय से प्राप्त किए जाने के मौखिक निर्देश दिए जाकर वादीगण/अपीलांट को अपने घर भेज दिया गया, तदुपरांत एकपक्षीय रूप से जवाब सरकार प्राप्त कर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद–पत्र निरस्त किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2014 (105/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि न्यायालय के माध्यम से प्रार्थीगण को न्याय आपके द्वार शिविर हेतु दिनांक 13.06.2018 के नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्ष/अंगूठा निशानी करते हुए उपस्थिति दर्ज करवाए जाने के साथ ही प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार न्यायालय के समक्ष किए जाने हेतु लिखित आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को मौखिक निर्देशों के तहत आगामी पेशी न्यायालय से प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए, तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा निरंतर न्यायालय से संपर्क किया गया, तो न्यायालय कार्मिकों द्वारा पत्रावली राजस्व शिविरों के तहत एक साथ एकत्रित किए जाने के कारण प्राप्त नहीं होने तथा तलाश किए जाने के उपरांत सूचित किए जाने का आश्वासन दिया गया, तत्पश्चात प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता निरंतर पत्रावली के संबंध में प्रयासरत रहे, लेकिन पत्रावली उपलब्ध नहीं होने तथा अग्रिम किसी भी कार्यवाही एवं पेशी के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाए जाने में असमर्थता व्यक्त की गई प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.02.2024 को हुई जिस पर दिनांक 23.02.2024 को अविलम्ब आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.02.2024 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर विधिक राय लेकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मूल अपील अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विधिक प्रावधानों, प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में न्याय आपके द्वार शिविरों में केवलमात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में पक्षकारान द्वारा लिखित रूप में राजीनामा प्रस्तुत कर लोक–अदालत की भावना के तहत प्रकरणों का निस्तारण करवाए जाने के इच्छुक रहे है, परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार न्यायालय के समक्ष सुनवाई कर किए जाने का निवेदन करते हुए राजस्व शिविर के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई, इस प्रकार अपीलांट/वादीगण की असहमति के उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 पारित किया गया। किसी भी लोक सेवक एवं पीठासीन अधिकारी से किसी भी पक्षकार द्वारा यह विश्वास/आशा की जाती है, उनके द्वारा राजकीय दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर का दुरूपयोग नहीं करेंगे, जबकि वर्तमान प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थिति के रूप में अपीलांट/वादीगण के हस्ताक्षर करवाते हुए लिखित आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी आदेशिका का दुरूपयोग कर अपीलांट/वादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 पारित किया गया। पत्रावली आदेशिका दिनांक 31.3.2016 से जवाब सरकार हेतु विचाराधीन होने के उपरांत भी जवाब सरकार प्रस्तुत नहीं हुआ तथा न्याय आपके द्वारा शिविर रूपनगढ में अपीलांट/वादीगण की उपस्थिति दर्ज करवाते हुए एकपक्षीय रूप से दिनांक 13.6.2016 को ही जवाब प्राप्त कर उसकी प्रति अपीलांट/वादीगण को उपलब्ध करवाए बिना ही शामिल मिसल करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 पारित किया गया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.6.2016 को प्रस्तुत जवाब सरकार की क्रम संख्या 04 के तहत प्रकरण में वर्णित भूमि अपीलांट/वादीगण के पति/पिता को आवंटन होना तथा क्रम संख्या 07 के तहत वाद प्रस्तुति से पूर्व अंतर्गत धारा 80 सीपीसी के तहत दिनांक 28.9.2012 को दो माह का विधिक नोटिस जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 01.10.2012 को प्राप्त होना तथा उसका कोई जवाब प्रेषित नहीं किया जाना स्वीकार किया गया है, तथा शेष अभिवचनों को अस्वीकार कर अपीलांट/वादीगण द्वारा सिद्व किया जाना उल्लेखित किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर विधि के आज्ञापक सिद्धांतों एवं आदेश 14 नियम 01 सीपीसी के तहत, विवाद्यक बिंदुओं की संरचना किया जाना आवश्यक था। आदेश 08 नियम 01 सीपीसी में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जवाब वाद–पत्र प्राप्त होने के उपरांत आदेश 14 नियम 02 सीपीसी के तहत विवाद्यक बिंदु कायम किए जाने के उपरांत आदेश 18 नियम 01 सीपीसी के तहत दोनों पक्षों को अपना मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के तहत प्रत्येक विवाद्यक पर अपना विवेचन व विश्लेषण दिए जाने के उपरांत निर्णय पारित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसके विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को विलोपित कर दिए जाने से गिरदावरी किया जाना संभव नहीं होना मानकर वाद–पत्र

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खारिज किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 09 व 19 को कभी भी विलोपित नहीं किया गया है, तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व ऐजेन्सी के माध्यम से प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 23.04.2015 के तहत प्रकरण में वर्णित भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा–काश्त विद्यमान होने के साथ ही तीन कमरे व बाडा होना भी स्वीकार किया है, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित कराए बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 पारित किया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2014 (105/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आर0आर0डी0 1994 पेज 141, आर0आर0टी0 2024(1) पेज 225, आर0आर0टी0 2024(1) पेज 67.

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 2113 रकबा 5–15 बीघा भूमि संवत 2041 व 2042 से 2045 की चौसाला जमाबंदी में छीतर पुत्र हीरा कौम कुम्हार साकिन देह अस्थाई अलाटमेंट तीन वर्ष हेतु दर्ज है, किंतु हाल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में खसरा नम्बर 2113 रकबा 5–15 बीघा सरकार की भूमियों के नाम दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा धारा 9 विलोपित किए जाने से गिरदावरी किया जाना संभव नहीं है। अतः खातेदारी दिया जाना उचित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 13.6.2016 में वादग्रस्त भूमि को वर्तमान में सिवायचक दर्ज माना है व वादी का वाद खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। जमाबंदी ग्राम रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर संवत 2046 से 2049 व 2050 से 2053 व 2054 से 2057, 2058 से 2061 में भू–धारक श्रीसरकार व जिम्मन नम्बर 9

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी 6 अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

सरकारी खाता (ङ) अतिक्रमी, खाता संख्या 2113, रकबा 5–15–00 किस्म बंजर एक व तालाबी द्वितीय अंकित है। पटवारी हल्का रूपनगढ द्वारा दिनांक 23.4.2015 की रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 2113 रकबा 5–15–00 किस्म बंजर प्रथम रकबा 3–10–00 व तालाबी रकबा 2–5–0 सिवायचक दर्ज है। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा वाद संख्या 05/2013 दिनांक 13.06.2016 में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नम्बर 2113 रकबा 5–15 बीघा भूमि संवत 2041 व 2042 से 2045 की चौसाला जमाबंदी में छीतर पुत्र हीरा कौम कुम्हार साकिन देह अस्थाई अलाटमेंट तीन वर्ष हेतु दर्ज है, जिसे खातेदारी के रूप में दर्ज करवाए जाने हेतु अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में खसरा नम्बर 2113 रकबा 5–15 बीघा सरकार की भूमियों के नाम दर्ज है। अतः खातेदारी दिया जाना उचित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 13.6.2016 में वादग्रस्त भूमि को वर्तमान में सिवायचक दर्ज माना है व वादी का वाद खारिज किया है। वादी उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिसे उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती है मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10.- अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2014 (105/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 को यथावत जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र) अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/11/2024
(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner